उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन अनुभाग–1

संख्या–531 VI(1)/2026–ई0फा0सं0 93782/2025

देहरादूनः दिनांक 05 जून, 2026

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 वर्ष 2001) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में ज़ारी उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियममावली, 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमवली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं इनके अधीन जारी समस्त अधिसूचनाओं एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा, मान्यता तथा इसी प्रकार के कार्य हेतु शुल्क आदि की शर्तें अवधारित किए जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों :–

(क) **"अधिनियम"** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2001) (समय–समय पर यथा संशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) **"आवेदक"** से ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/फर्म/कम्पनी इत्यादि अभिप्रेत है, जो इस नियमावली के अन्तर्गत अपनी पर्यटन इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन करता है;

(ग) **"अपील प्राधिकारी"** से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) **"परिषद्"** से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अभिप्रेत है;

(ड.) **"सक्षम/पुनरीक्षण अधिकारी"** से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अभिप्रेत है;

(च) "**राजपत्र**" से उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "**स्थानीय प्राधिकरण**" से विकास प्राधिकरण, नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) "**अनाचार**" के अन्तर्गत छल, अयथार्थ प्रस्तुतिकरण, पर्यटक सुविधाओं में बाधा डालना, नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमों/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना आदि सम्मिलित है;

(ञ) "**विहित प्राधिकारी**" से जिला पर्यटन विकास अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) "**पंजीकरण प्रमाण–पत्र**" से इस नियमावली के अधीन जारी प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है;

(ठ) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "**पर्यटक**" से उत्तराखण्ड राज्य में यात्रा करने वाले भारतीय/विदेशी यात्रियों/पर्यटकों/साहसिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

(ढ) "**पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय**" से निम्नलिखित पर्यटन इकाइयां अभिप्रेत हैः–

(1) **आवासीय संबंधी इकाई यथा :–**
होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट/हैल्थ–स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह/गेस्ट हाउस/लॉज, कॉटेज/टैन्ट कालोनी/नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज/हाउस बोट्स, धर्मशाला/आश्रम, होमस्टे, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, फलोटेल, हेरिटेज होटल, योग/आयुर्वेद/नैचुरोपैथी रिसार्ट, पर्यटक ग्राम, सर्विस अपार्टमेंट/सामुदायिक आधारित पर्यटन इकाई आदि।

(i) **"होटल"** से अभिप्राय ऐसी व्यावसायिक पर्यटन इकाई से है जो यात्रियों को आवास, भोजन, आतिथ्य एवं पूरक सेवाएं उपलब्ध कराती हो तथा जिसमें स्वच्छ शौचालय, पेयजल, विद्युत–बैकअप एवं अग्नि–सुरक्षा की व्यवस्थाएं व भवन निर्माण नियमों के अनुरूप हो।

(ii) **"मोटल/मार्गीय सुविधा"** से अभिप्राय ऐसी आवासीय एवं यात्री–परक इकाई से है, जो यात्री/परिवहन मार्गों पर स्थित हो तथा पर्यटकों, वाहन चालकों तथा ट्रांजिट यात्रियों

को वाहन पार्किंग, रात्रि विश्राम, स्वच्छ शौचालय, पेयजल एवं भोजन सहित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती हो।

(iii) **"रिजॉर्ट"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन इकाई से है, जो प्राकृतिक अथवा मनोरंजन–उन्मुख परिवेश में स्थित हो और आवासीय व मनोरंजन सुविधाएँ उपलब्ध कराती हो।

(iv) **"हेल्थ–स्पा रिजॉर्ट"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन इकाई से है जोकि आवासीय व भोजन सुविधाओं के अतिरिक्त स्पा, वेलनेस, प्राकृतिक उपचार अथवा स्वास्थ्य–केन्द्रित सेवाएँ प्रदान करती हो।

(v) **"टाइमशेयर अपार्टमेंट"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन इकाई से है, जिसमें आवासीय उपयोग का अधिकार एक या एकाधिक पंजीकृत सदस्य/उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व निर्धारित अवधि के आधार पर साझा किये जाते हैं एवं जो विधिक रूप से स्वामित्व में हो।

(vi) **"मोटर कारवाँ"** से अभिप्राय ऐसे विशेष रूप से निर्मित वाहन से है, जिसमें यात्री आवास, स्वच्छता एवं भोजन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो और जिसका उपयोग गतिशील अथवा स्थिर दोनों रूपों में पर्यटक आवास के उद्देश्य से किया जा सके।

(vii) **"अतिथि/यात्री विश्राम गृह/गेस्ट हाउस/लॉज"** से अभिप्राय ऐसी आवासीय इकाई से है, जिसमें पर्यटकों को सीमित सेवाओं सहित आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती हो।

(viii) **"कॉटेज/टेन्ट कॉलोनी/नेचर कैम्प"** से अभिप्राय ऐसी अस्थायी अथवा अर्द्ध–स्थायी आवासीय इकाई से है, जो प्राकृतिक परिवेश में स्थापित हो तथा पर्यटकों को कॉटेज/टेन्ट आधारित आवास एवं प्रकृति–परक गतिविधियों सहित आवश्यक सुरक्षा एवं स्वच्छता सुविधाएँ प्रदान करती हो तथा वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा, स्वच्छ शौचालय एवं कचरा प्रबंधन व्यवस्था युक्त हो;

स्पष्टीकरण– संरक्षित क्षेत्र में उक्त के संचालन हेतु सम्बंधित विभाग से वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(ix) **"रिवर/लेक क्रूज़/हाउसबोट"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन इकाई से है, जो निर्धारित मानकों के साथ नदी/झील/अनुमत जलाशय में संचालित हो तथा पर्यटकों को नाव/जहाज़ आधारित आवास, भ्रमण तथा आतिथ्य सेवाएँ उपलब्ध कराती हो।

(x) **"धर्मशाला/आश्रम"** से अभिप्राय ऐसी आवासीय इकाई से है, जो व्यक्तियों, संगठनों अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित हो और तीर्थयात्रियों/पर्यटकों को साधारण आवास एवं आवश्यक सुविधाएँ न्यूनतम शुल्क अथवा दान के आधार पर उपलब्ध कराती हो एवं जिसका उद्देश्य लाभ–अर्जन न हो।

(xi) "**होमस्टे**" से नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के स्वामित्व वाले आवासीय भवन अभिप्रेत है, जिसके परिसर अथवा भवन में भवन स्वामी/भवन स्वामी का परिवार स्थायी रूप से स्वतः निवासरत हो तथा पर्यटकों को आवश्यक सुविधाओं सहित आवासीय व भोजन सुविधा उपलब्ध कराता हो।

(xii) **"बेड एण्ड ब्रेकफास्ट"** से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे अवस्थित ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है, जिसमें भवन स्वामी इकाई में स्वयं निवासरत हो अथवा ना हों, परंतु उसके द्वारा रजिस्टर्ड अनुबन्ध के माध्यम से अधिकृत संचालक/व्यवस्थापक/व्यावसायिक सेवा प्रदाता इकाई द्वारा पर्यटकों को आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करता हो।

(xiii) "**फ्लोटेल**" से ऐसी जल–आधारित पर्यटन आवास इकाई अभिप्रेत है जो नदी, झील या अनुमत जलाशय पर संचालित हो तथा जिसमें विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट–प्रबंधन एवं स्थिरता/सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों;

स्पष्टीकरण– ऐसी इकाई जल–परिवहन, पर्यावरण और सुरक्षा दिशानिर्देशों तथा सक्षम/स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही संचालित होगी।

(xiv) **"हेरिटेज होटल"** से 1950 से पूर्व निर्मित महल, किला, हवेली, भवन या ऐतिहासिक संरचना में संचालित पर्यटन आवास इकाई अभिप्रेत है, जिसमें मूल स्थापत्य रूप, बाहरी स्वरूप एवं शिल्प संरक्षित हो तथा जिसका नवीनीकरण पारंपरिक शैली में किया जाए;

स्पष्टीकरण– किसी भी परिवर्तन के लिए संबंधित विरासत प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होगी।

(xv) "**योग/आयुर्वेद/नैचुरोपैथी रिसॉर्ट**" से ऐसी पर्यटन इकाई अभिप्रेत है, जहाँ आयुष पद्धति आधारित उपचार, योग, स्वास्थ्य–सुधार कार्यक्रम, आवास एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हों तथा अधिष्ठान में उपचार कक्ष, विश्राम क्षेत्र व प्रशिक्षित/पंजीकृत चिकित्सक हों;

स्पष्टीकरण– इकाई को राज्य आयुष विभाग से अथवा NABH मान्यता एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(xvi) "**पर्यटक ग्राम**" से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो ग्रामीण जीवन, भोजन, कला–संस्कृति, हस्तशिल्प एवं पारंपरिक गतिविधियों का अनुभव प्रदान करती हो तथा जिसमें स्थानीय सामग्री आधारित निर्माण, सांस्कृतिक प्रस्तुति क्षेत्र, हस्तशिल्प बिक्री केन्द्र तथा समुदाय–आधारित

सहभागिता की व्यवस्था हो; रोजगार–उन्मुख प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(xvii) **"सर्विस अपार्टमेंट"** से ऐसे सुसज्जित फ्लैट/ कक्ष अभिप्रेत है, जो अल्प या दीर्घ अवधि हेतु किराये पर उपलब्ध हो और जिसमें हाउसकीपिंग, फ्रंट–डेस्क, सुरक्षा, जल–बिजली सुविधा एवं अन्य सेवाएँ प्रदान की जाती हो, व जिसका संचालन व्यवसायिक आधार पर किया जायेगा। स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सर्विस अपार्टमेंट श्रेणी में मानचित्र पास हो।

(xviii) "सामुदायिक आधारित पर्यटन इकाई" से अभिप्राय ऐसे समूह या क्लस्टर से है, जिसमें कम से कम 8 से 10 होमस्टे इकाईयां हों, जो किसी विशेष पर्यटन स्थल/गाँव/गाँवों के समूह (समूह/क्लस्टर से तात्पर्य 3 से 6 गाँव अभिप्रेत हैं) में स्थित हो। इन इकाईयों की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार विधिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, जैसे पंजीकृत सोसाइटी, सहकारी संस्था अथवा सामुदायिक आधारित संगठन। चयन प्रक्रिया हेतु इच्छुक सामुदायिक पर्यटन संगंठनों से परिषद समय–समय पर आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) ट्रैवल ट्रेड संबंधी इकाई यथा :–

ट्रैवल एजेंसी तथा टुअर ऑपरेटर,

(i) **"ट्रैवल एजेंसी"** से ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो पर्यटकों/यात्रियों हेतु यात्रा टिकट, होटल बुकिंग परिवहन एवं अन्य पर्यटक सहायक सेवाएँ कमीशन अथवा सेवा शुल्क आधार पर उपलब्ध कराती हो।

(ii) **"टूर ऑपरेटर"** से ऐसी इकाई अभिप्राय है, जो परिभ्रमण कार्यक्रम, पैकेज टूर, गाइडिंग, आवास, परिवहन तथा अन्य पर्यटन सहायक सेवाओं का समन्वित रूप से आयोजन एवं संचालन करती हो।

(3) मनोरंजन संबंधी इकाई यथाः–

आमोद–प्रमोद/थीम/एम्यूजमेन्ट पार्क, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, स्टार गेजिंग, गोल्फ कोर्स, सम्मेलन/एम.आई.सी.ई. केन्द्र/रज्जू मार्ग" आदि।

(i) **"थीम/एम्यूजमेंट पार्क"** से अभिप्राय ऐसी इकाई से है, जिसमें मनोरंजन हेतु थीम आधारित संरचनाएँ, झूले, साहसिक खेल, प्रदर्शन, जल–खेल या अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ उपलब्ध है;

(ii) **"ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन"** से अभिप्राय ऐसी इकाई से है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक

विषयवस्तु को ध्वनि, प्रकाश एवं दृश्य तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता हो;

(iii) **"स्टार गेज़िंग"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन गतिविधि से है, जिसमें दूरबीन, वेधशाला या वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से आकाशीय पिंडों का अवलोकन कराया जाता हो;

(iv) **"गोल्फ कोर्स"** से अभिप्राय खेल एवं पर्यटन परिसर से है, जिसमें परिभाषित मानकों के अनुसार गोल्फ खेलने हेतु भू–भाग, सुविधाएँ तथा क्लब–हाउस उपलब्ध हो;

(v) **"सम्मेलन/एम.आई.सी.ई. केन्द्र"** से अभिप्राय ऐसी अवसंरचना–युक्त परिसर/पर्यटन इकाई से है, जिसमें बैठक, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी हेतु सभागार, साउण्ड–विजुअल सिस्टम, रिकॉर्डिंग व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हों तथा जिसका निर्माण मानक स्थानीय भवन नियम, अग्नि–सुरक्षा एवं क्षमता मानकों के अनुरूप हो;

(vi) "**रज्जू मार्ग**" से अभिप्राय ऐसी इकाई से है, जो हवा में स्टील की रस्सियों (Cable) के सहारे ट्रॉली/केबिन/कुर्सियों के माध्यम से पर्यटकों/यात्रियों को योजक (linked) गंतव्य तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हो।

(4) साहसिक पर्यटन संबंधी इकाई यथाः–

एडवेंचर टुअर ऑपरेटर, वाईट वाटर क्याकिंग, याटिंग (पाल नौकायन), बोटिंग (वाटर स्पोर्ट्स), वाटर स्कीइंग, फ्लाई वोर्ड, जेट स्की, स्नो स्कीइंग, पथारोहण (ट्रैकिंग), पर्वतारोहण, रॉक/कृत्रिम वॉल क्लाइम्बिंग, माउन्टेन बाईकिंग, ए0टी0बी0, पैरा सेलिंग/पैराग्लाइडिंग, बंजीजम्पिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, फ्लाईंग फॉक्स, आइस स्केटिंग, एडवेंचर क्लब, रिवर राफ्टिंग, जिप लाईन, रोप साइकिलिंग, जाइंट स्विंग, पैरामोटर, क्याकिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं एडवेंचर थीम पार्क आदि

(i) **"एडवेंचर टूर ऑपरेटर"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन संस्था से है, जो साहसिक गतिविधियों, अभियान तथा उससे संबंधित सुरक्षा प्रबंधन के साथ नियोजित रूप से साहसिक पर्यटन सेवाएँ प्रदान करती है।

(ii) **"साहसिक पर्यटन गतिविधि इकाई"** से अभिप्राय ऐसी पर्यटन इकाई से है, जो भूमि, जल एवं वायु आधारित साहसिक गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित कार्मिकों, तकनीकी उपकरणों, प्राथमिक उपचार, सुरक्षा प्रणाली एवं बीमा कवर सहित संचालित करे; संचालन केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, सुरक्षा मानक एवं आपदा–प्रबंधन प्रोटोकॉल के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण–पर्यटन इकाई/गतिविधियां जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित किया जा सकेगा।

(5) अन्य इकाई यथाः–

आवासीय सुविधा युक्त योग ध्यान केन्द्र/साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र नेचर/एडवेंचर फोटोग्राफी, हस्तशिल्प/सोविनियर शॉप आदि।

(i) **"पर्यटन इकाई ऑपरेटर"** से खण्ड (ढ) में वर्णित ऐसे समस्त पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति/इकाई अभिप्रेत है जो पर्यटन इकाई का स्वामी हो, या उसका परिचालन करता हो, और इसके अन्तर्गत स्वामी अथवा उसकी ओर से प्रबन्ध करने वाला या परिचालन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों सम्मिलित है;

(ii) "प्रमाणिक मानचित्र" से भवन/संरचना का मानचित्र जो स्थानीय विकास प्राधिकरण/जिला विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/क्षेत्र पंचायत अथवा अन्य संस्थाएं जैसे आई. आई.टी. आदि से प्रमाणित जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा नियत किया जाय, अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पदावलि जो इस नियमावली में प्रयुक्त है किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, के वहीं अर्थ होगें, जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 में उन्हें दिए गए हैं।

शिथिलता

3. जन सामान्य के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक परिसर अथवा लोक न्यास द्वारा धार्मिक या जन सामान्य के लिए निर्धारित अव्यावसायिक परिसर अथवा जन सामान्य के प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थानीय निकाय या प्रशासकीय विभाग या सार्वजनिक परिसर अथवा सरकार या स्थानीय निकाय/प्राधिकरण या किसी अन्य प्रशासकीय विभाग के प्रबन्ध के अधीन अव्यावसायिक विश्राम–गृह, डाक बंगला, सर्किट हाऊस, निरीक्षण गृह आदि इस नियमावली से आच्छादित नहीं होंगे।

अध्याय–दो

पंजीकरण प्रक्रिया, शर्तें, शुल्क, प्रतिबंध आदि

पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्तें

4. (1) भिन्न–भिन्न प्रयोजन हेतु आवेदक को परिषद् की विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, इकाई हेतु पंजीकरण शुल्क (अहस्तान्तरणीय) निम्नवत् देय होगाः–

(I) आवासीय इकाईयों को छोड़ कर अन्य पर्यटन इकाईयों हेतु रू0 10000/–

(II) आवासीय इकाईयों हेतु

(क)–01 से 09 कक्षों की आवासीय इकाई हेतु रू0 5000/–

(ख)–10 से 19 कक्षों की आवासीय इकाई हेतु रू0 10000/–

(ग)–20 से 49 कक्षों की आवासीय इकाई हेतु रू0 20000/–

(घ)–50 अथवा इससे अधिक कक्षों की आवासीय इकाई हेतु रू0 30000/–

(III) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट हेतु रू0 5000/–

(IV) होमस्टे हेतु रू0 1000/–

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क वसूल किया जायेगा। परिषद् द्वारा पंजीयन शुल्क का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में अथवा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी अपनी नई पर्यटन इकाई का तब तक संचालन नहीं करेगा, जब तक कि उसे इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत नहीं कर लिया जाता है।

(4) इस नियमावली के लागू होने की दिनांक से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इस नियमावली के लागू होने के 180 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(5) आवेदक के पास पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, दूरभाष व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों (होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाईयों पर यह लागू नहीं होगा)

(6) साहसिक पर्यटन इकाई के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक आवेदक के पास वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास साहसिक पर्यटन के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध है।

(7) आवासीय इकाई समुचित रूप से साफ–सुथरी, अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों (प्रति कक्ष एक अग्निशमन उपकरण) के अनुसार संरक्षित तथा सुदृढ़ ढ़ंग से निर्मित होनी चाहिए।

(8) पर्यटन इकाई के स्वामी/प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत पर्यटन इकाई को स्थायी रूप से बंद करने की सूचना से विहित प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(9) संयुक्त भवन/सम्पत्ति की दशा में सहखातेदारों की सहमति/अनापत्ति से ही पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

(10) आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिले के विहित प्राधिकारी द्वारा परीक्षण कर विभिन्न श्रेणियों में आवेदित इकाई के पंजीकरण की कार्यवाही नियमावली के प्रावधानों के आधार पर की जायेगी।

(11) (i) होम स्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट श्रेणी के अर्न्तगत पंजीकृत इकाईयों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

क्रं0सं0	श्रेणी
01	गोल्ड
02	सिल्वर
03	ब्रांज

इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति व सुविधाओं का आंकलन परिषद् द्वारा होमस्टे इकाईयों की रेटिंग हेतु तैयार पैरामीटर अनुलग्नक–1 के अनुसार श्रेणियों में पंजीकृत किया जायेगा।

(ii) होमस्टे हेतु भवन स्वामी का जिला प्रशासन द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि 6 माह से अधिक पूर्व का ना हो, के साथ ही अनुलग्नक–2 के अनुसार शपथपत्र उपलब्ध कराना होगा।

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट हेतु अधिकृत संचालक/ व्यवस्थापक/ व्यावसायिक सेवा प्रदाता का स्थानीय पुलिस से सत्यापन/चरित्र प्रमाण पत्र के साथ ही अनुलग्नक–4 के अनुसार शपथपत्र उपलब्ध कराना होगा। इकाई का पंजीकरण रेटिंग हेतु पैरामीटर अनुलग्नक–3 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में किया जायेगा।

(iii) होम स्टे और बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के अंतगर्त पंजीकृत इकाई की कक्षों की अधिकतम संख्या 08 तथा न्यूनतम एक कक्ष होगी। आवश्यकतानुसार दो या एक अतिरिक्त शैय्या की व्यवस्था की जा सकती है। किसी भी दशा में शैय्याओं की संख्या 24 से अधिक नहीं होगीः

परन्तु यह कि डॉरमैट्री के रूप में संचालित बेड एण्ड ब्रेकफास्ट में एक कक्ष में अधिकतम 4 शैय्याओं की व्यवस्था जा सकती है, किन्तु कुल शैय्यों की संख्या 24 से अधिक नही होगी।

(iv) बैड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाई रेजीडेंशियल सोसाइटी के अन्तर्गत निर्मित होने की दशा में इकाई स्वामी/अधिकृत संचालक/ व्यवस्थापक/ व्यावसायिक सेवा प्रदाता का इकाई परिसर में

निवासरत होना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु रेजीडेंशियल सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाइयों के कक्षों का किराया निर्धारण, इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार ही किया जाना होगा। भवन स्वामी/संचालनकर्ता द्वारा इकाई में लिए जाने वाले अधिकतम आवासीय दरों की सूचना विहित अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

(12) साझेदारी फर्म/कम्पनी/संस्था/सोसाइटी आदि होने की दशा में आवेदक के अतिरिक्त अन्य साझेदारों से प्राधिकार–पत्र (पावर ऑफ अटार्नी)/अनापत्ति का शपथपत्र, आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(13) यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई विस्तार, परिवर्तन, कक्ष घटाना/बढ़ाना चाहता है तो, वह ऐसे विस्तार/परिवर्तन के पश्चात व संचालन करने से पूर्व विहित प्राधिकारी को ऑनलाईन सुधार हेतु वांछित प्रपत्रों तथा पूर्व निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन करेगा। विहित प्राधिकारी सम्बन्धित इकाई के पूर्ण प्राप्त आवेदन का गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस के भीतर निस्तारण करेगा।

(14) इकाई परिसर में अनाशित कूड़े–कचरे के उचित निस्तारण का दायित्व गृह स्वामी/संचालक/व्यस्थापक/ पंजीकृत पट्टाधारी सेवा प्रदाता का होगा।

(15) तीन सितारा एवं उनसे उच्च प्रास्थिति के होटल/रिजॉर्ट आदि के पंजीकरण हेतु योग विंग की स्थापना तथा उसमें राज्य के योग प्रशिक्षितों को सेवायोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय इकाई में पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिये। पर्याप्त पार्किंग का तात्पर्य है कि यदि होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट में एक कक्ष है तो न्यूनतम एक कार के लिये पार्किंग होनी चाहिये। प्रत्येक अतिरिक्त कक्ष हेतु एक अतिरिक्त कार पार्किंग के लिये स्थान होना चाहिये। इकाई में समुचित पार्किंग व्यवस्था न होने की दशा में पर्यटक वाहनों हेतु समुचित/सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था इकाई स्वामी/संचालक द्वारा की जायेगीं।

(17) ट्रेवल एजेंट/ डोमेस्टिक टूर आपरेटर/एडवेंचर आपरेटर व अन्य गैर पर्यटन आवासीय इकाईयों को अनुलग्नक–5 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(18) होमस्टे, बैड व ब्रेकफास्ट को छोड़कर अन्य समस्त पर्यटन आवासीय इकाईयों को अनुलग्नक–6 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवासीय सम्बंधी इकाई हेतु प्रतिबंध

5. आवासीय इकाई संचालक/भवन स्वामी कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नहीं करेगा जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता का उल्लंघन हो। वह इकाई के सम्बन्ध में भ्रामक, सूचनायें प्रचलित नहीं करेगा न ही किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होगा। विदेशी पर्यटकों की सूचना हेतु पुलिस विभाग की व्यवस्था के अनुसार सूचना उपलब्ध कराये जाने की जबाबदेही सम्बन्धित इकाई स्वामी/संचालक की होगी। इकाई में आवास करने वाले पर्यटकों के विवरण दर्ज किये जाने हेतु प्रमाणिक आगंतुक पंजिका का संकलन किया जाना तथा पर्यटकों के पहचान पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा :

परन्तु यह कि होमस्टे इकाई के सम्बंध में भवन स्वामी होटल की भांति आवास में स्वागत पटल (रिसेप्शन काउंटर) स्थापित नहीं करेगा।

अतिथियों का दायित्व

6. (1) अतिथि द्वारा आवासीय इकाई संचालक को परिचय प्रमाण–पत्र (आईडेन्टीफिकेशन सर्टिफिकेट) यथा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि जोकि समय–समय पर परिचय–पत्र की श्रेणी में मान्य हों की प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(2) अतिथि, मांगी गयी समुचित सूचनायें रखी गयी आगंतुक पंजिका में अनिवार्य रूप से दर्ज करायेगा।

(3) आवासीय इकाई में रहने की अवधि में किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो प्रशासनिक/सामाजिक व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करे।

अध्याय– तीन
पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करना/नवीनीकरण आदि

पंजीकरण की स्वीकृति

7. (1) विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में भिन्न–भिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की सम्यक् जाँच के उपरान्त पंजीकरण की कार्यवाही अथवा निरस्त करने की स्थिति में कारणों को अंकित करते हुये आवेदन पत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण 60 दिनों की अवधि में किया जायेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, जब तक कि इन्कार नहीं करता, पर्यटन इकाई को पंजीकृत करते हुए पर्यटन इकाई ऑपरेटर को नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

पंजीकरण की अवधि एवं नवीनीकरण

8. (1) विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं किया जाता उसे नियमानुसार 05 वर्ष की अवधि हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जिसका 05 वर्ष के पश्चात् गुणावगुण के आधार तथा नियम 4(1) में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण की व्यवस्था की जायेगीः

परन्तु, यह कि पूर्व से पंजीकृत इकाइयां जिनके पंजीकरण की अवधि को 05 वर्ष पूर्ण हो चुकी है का संशोधित नियमों के अधीन पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना होगाः

परन्तु, यह और कि पूर्व में पंजीकृत अन्य इकाइयां जिनके पंजीकरण की अवधि को 05 वर्ष से कम समय हुआ हो, को 05 वर्ष की अवधि के उपरान्त नवीनीकृत किया जायेगा। होमस्टे के अन्तर्गत पूर्व से पंजीकृत/नवीनीकृत इकाइयां जिनका पंजीकरण/नवीनीकरण दो वर्ष के लिए किया गया था, को पंजीकरण/नवीनीकरण समाप्ति दिनांक से तीन माह पूर्व इस नियमावली के अन्तर्गत सुसंगत इकाई (होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट) में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

(2) विहित प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का निस्तारण करेगा।

पर्यटन इकाई ऑपरेटर के पंजीकरण से इन्कार

9. (1) विहित प्राधिकारी, इस नियमावली के अधीन या यथास्थिति अनुसार, पर्यटन इकाई ऑपरेटर का पंजीकरण निम्नलिखित मे से किसी आधार पर करने से इन्कार कर सकता है, यदि–

(क) पर्यटन इकाई ऑपरेटर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण, या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हों।

(ख) पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और विमोचित नहीं किया गया हो;

(ग) पर्यटन इकाई ऑपरेटर का नाम नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (ग), (घ), (ङ) व (छ) में उल्लिखित आधार पर रजिस्टर से हटाया गया हो और हटाए जाने की दिनांक से तीन मास व्यतीत न हुए हो;

(घ) पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों (भौगोलिक स्थिति के अनुसार) के अनुरूप हो;

(ङ) यात्रा, अभिकर्ता (Travel Agent) या गाइड या साहसिक पर्यटन ऑपरेटर वांछित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो;

(च) पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण सम्बंधी उपबंधों/नियमों/उप–विधियों के अनुपालन का स्वःघोषणा का शपथ–पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में;

(छ) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, पंजीकरण से इन्कार करने के लिए लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए पर्याप्त आधार हो।

(2) पंजीकरण के किसी आवेदन को तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो;

पर्यटन इकाई पंजीकरण का निरस्तीकरण तथा नोटिस देना

10. (1) विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित उपबन्धों में से किसी भी आधार पर, लिखित आदेश द्वारा पर्यटन इकाई के पंजीकरण को निरस्त करते हुए नियम 7 के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकता है, यदि :–

(क) पर्यटन इकाई को स्वेच्छा से बन्द करने की दशा में अथवा एक वर्ष की अवधि से अधिक व्यवसाय न करने की दशा में;

(ख) भारतीय न्याय संहिता में निहित प्रावधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने की दशा में;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने की दशा में;

(घ) इस नियमावली के किसी उपबन्ध का अनुपालन न करने की दशा में;

(ङ.) ऐसे उपद्रवी पर्यटक/यात्री जो किसी पर्यटन इकाई में अथवा भवन के आस–पास अधिवास करने वाले व्यक्तियों के लिए बाधा बन रहे हों, को निकालने में असफल रहने की दशा में अथवा जानबूझ कर अपनी इकाई में ऐसे उपद्रवी को रखने की दशा में;

(च) उसके विरूद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और उसकी पुष्टि होने की दशा में;

(छ) छल अथवा कपट से पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की दशा में।

(2) पर्यटन इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई स्वामी/संचालक को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए, उसको सुनवाई के लिये अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस देगा।

पर्यटन इकाई के निरीक्षण का अधिकार

11. इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/ क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उस पर्यटन इकाई के आपरेटर की सहमति से उसके परिसर में निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और रजिस्टरों और बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।

अध्याय चार

पर्यटन इकाई ऑपरेटर के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य

पर्यटन इकाई ऑपरेटर के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य

12. (1) पर्यटन इकाई ऑपरेटर एवं उसके कर्मचारियों को इन नियमों एवं उपबन्धों का प्रत्येक समय पर कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा।

(2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये, की सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

(3) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर अपने कार्यालय/इकाई के स्वागत कक्ष एवं होमस्टे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्वामी/संचालक को अपनी इकाई के कॉमन एरिया जैसा कि प्रचलित हो में एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी एवं वेब साईट/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शिकायत/सुझाव हेतु फीड बैक लिंक उपलब्ध कराना होगा।

(4) प्रत्येक पर्यटन इकाई/ऑपरेटर द्वारा भारतीय/विदेशी पर्यटकों की संख्या/पर्यटन सांख्यिकी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक परिषद् की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर अपलोड/अंकित करनी अनिवार्य होगी।

(5) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुरूप उत्तराखण्ड के निवासियों को अपनी इकाई में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

(6) प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को भारतीय–विदेशी, गाइड/वरिष्ठ गाइड/प्रशिक्षक/कुशल तकनीकी कर्मियों का विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करना होगा। पर्यटन इकाई ऑपरेटर/विदेशी कार्मिकों की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिये एक लिखित अन्डरटेकिंग स्थानीय पुलिस स्टेशन को उपलब्ध करानी होगी।

(7) कोई पर्यटन इकाई आपरेटर निर्धारित दरों से अधिक धनराशि किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी वसूल नहीं करेगी।

(8) पर्यटन इकाई आपरेटर, सेवा प्राप्त करने वाले (यथास्थिति अनुसार) व्यक्ति/पर्यटक/ग्राहकों को ब्यौरेवार देयक (बिल) प्रस्तुत करेगा तथा प्राप्त की गयी धनराशि की मूल रसीद देगा, जिसकी द्वितीय प्रति अपने पास रसीद बुक में सुरक्षित रखेगा।

(9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन/ पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा।

(10) प्रत्येक पर्यटन इकाई स्वामी/ऑपरेटर/संचालनकर्ता को परिषद् द्वारा आवंटित क्यू आर (QR Code) कोड युक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वागत पटल/ कार्यालय कक्ष में तथा होमस्टे एवं बेड –ब्रेकफास्ट इकाई को कॉमन एरिया में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा जो कि पर्यटकों को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो।

(11) कोई भी पर्यटन इकाई आपरेटर अथवा उसके यहां नियुक्त कोई भी व्यक्ति, सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा पर्यटक से उपनियम (2) के अधीन यथा नियत दरों के सिवाय, कोई "टिप" (बख्शीश), उपदान, उपहार कमीशन की मांग नहीं करेगा।

(12) होमस्टे श्रेणी में पंजीकृत इकाइयों को छोड़कर व्यवसायिक श्रेणी में संचालित समस्त पर्यटन इकाइयों हेतु व्यवसायिक जल कर, व्यवसायिक विद्युत कर तथा व्यवसायिक संपत्ति कर सहित लागू समस्त करों, शुल्कों एवं वैधानिक देयताओं का वहन करना पूर्णतः स्वामी/संचालक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की स्थिति में विहित प्राधिकारी नियमानुसार कार्यवाही/पंजीकरण निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(13) इस नियमावली में वर्णित समस्त पर्यटन इकाइयों को, व्यवसायिक हो अथवा अव्यवसायिक, तत्समय लागू उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(14) केयर टेकर के माध्यम से संचालित इकाइयों में केयर टेकर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।

(15) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नियम 2 (ढ) में वर्णित समस्त इकाईयों में पुलिस महिला हेल्पलाईन नं० यथा 9411112780, 112, गौरा शक्ति एप एवं स्थानीय पुलिस स्टेशन के फोन नं० को कम से कम A3 Size में अपने इकाई/कार्यालय के Reception पर एवं होम स्टे तथा बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इकाइयों को भवन के कॉमन

एरिया में, जो कि पर्यटको को आसानी से दिखाई दे, सूचना हेतु प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(16) प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई आपरेटर का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक पर्यटक/कर्मचारी/देशी–विदेशी गाईड/प्रशिक्षक/कुली/कुशल तकनीकी कर्मियों का अनिवार्य रूप से बीमा करायेगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार/ परिषद् अपने आदेश द्वारा समय–समय पर करेगी।

अध्याय – पांच
होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के अर्न्तगत पंजीकृत भवनों को अनुमन्य लाभ

होमस्टे एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के अर्न्तगत पंजीकृत भवनों को अनुमन्य लाभ

13. (1) होमस्टे में पंजीकृत आवासीय इकाईयां पूर्णतः अव्यावसायिक मानी जायेंगी। इन इकाइयों में जल, विद्युत, हाउस टैक्स जैसे करों को अव्यवसायिक/घरेलू दरों पर लिया जाएगा।

(2) होमस्टे/बेड एवं ब्रेकफास्ट पंजीकृत आवासीय इकाई को पर्यटन विभाग की वेब–साईट के माध्यम से प्रचारित–प्रसारित किया जायेगा।

(3) होमस्टे/ बैड एवं ब्रेकफास्ट पंजीकृत आवासीय इकाई के स्वामियों का आवश्यकतानुसार क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराया जा सकेगा।

अध्याय–छः
अपराध और शास्तियां

पंजीकरण में व्यतिक्रम के लिए शास्ति

14. इस नियमावली के अधीन उचित पंजीकरण के बिना या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में, पर्यटन एवं पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित कारोबार करता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा उस पर दस हजार रूपए की शास्ति तथा यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, एक हजार रूपए प्रतिदिन, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

मिथ्या कथन के लिए शास्ति

15. इस नियमावली के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यदि जानबूझकर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सारभूत तथ्य को छुपाता है, तो उस पर विहित प्राधिकारी द्वारा दस हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

प्रमाण–पत्र का बिना अनुज्ञा के समनुदेशित/

16. कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस नियमावली के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण–पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, अथवा

नवीनीकरण न किया जाना

निर्धारित अवधि में पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करता है, तो वह दस हजार रूपए की शास्ति का दायी होगा।

प्रमाण–पत्र दिखाया जाना

17. (1) इस नियमावली के अधीन पंजीकृत इकाई का स्वामी/संचालक, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, अपना पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिखाएगाः–

(क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी; और

(ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को; और

(ग) वास्तविक ग्राहक/पर्यटक/अतिथि

(2) यदि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय सम्बंधी इकाई उक्त उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों में से किसी के द्वारा मांगने पर अपना प्रमाण–पत्र दिखाने या इसे पढ़ने की अनुज्ञा देने से इन्कार करता है, तो वह पांच हजार रूपए की शास्ति का दायी होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन पंजीकृत आवासीय इकाई का स्वामी/संचालक, बिना विहित प्राधिकारी से प्रमाणित आगंतुक पंजिका का उपयोग करने अथवा एक समय पर एक से अधिक पंजिकाओं का उपयोग करते हुये पाये जाने पर दस हजार रूपये की शास्ति का दायी होगा।

अनाचार के लिए शास्ति

18. इस नियमावली के अधीन पंजीकृत इकाई का स्वामी/संचालक,यदि अनाचार करता है या इस नियमावली के उपबन्धों या किसी अन्य उपबन्ध जिसके के लिये कोई भी विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है, का उल्लंघन करता है तो वह दस हजार रूपये की शास्ति का दायी होगा। व्यतिक्रम जारी रहने की दशा में पंजीकरण प्रमाण–पत्र निरस्त अथवा स्थगित किया जा सकेगा एवं पंजीकरण के निरस्तीकरण के उपरांत, पंजीकरण हेतु निर्देशित करने एवं तय समय सीमा के अन्तर्गत पंजीकरण के बिना इकाई का संचालन किये जाने पर इकाई को अवैध घोषित किया जायेगा एवं अवैध इकाई के विरूद्ध समक्ष कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग/विभागों को विहित प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा।

विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुंचाना

19. यदि कोई व्यक्ति, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के नियमों के अनुसरण में उसे प्रदत्त अथवा उसको अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के कर्तव्यों के उन्मोचन में जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई प्रतिरोध करता है अथवा अन्यथा विघ्न डालता है, तो वह एक हजार रूपए के शास्ति का दायी होगा।

शास्तियों की वसूली

20. इस नियमावली के अधीन अधिरोपित की गयी शास्तियों का भुगतान न किये जाने की दशा मे इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जा सकेगी।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही हेतु संरक्षण

21. इस नियमावली या इसके अधीन बनाये गये विनियम या इसके अधीन किये गये कोई आदेश के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, परिषद् और इस नियमावली के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

अध्याय–सात

अपील और पुनरीक्षण

अपील

22. (1) इस नियमावली के अध्याय–6 के उपबन्धों के अध्यधीन, विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील, अपील प्राधिकारी को होगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश की सूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगीः

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्ति–युक्त कारणों द्वारा निवारित हुआ था।

(3) अपीलार्थी को, अधिवक्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा तथा विहित प्राधिकारी का ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें।

(4) किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।

पुनरीक्षण

23. पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले के अभिलेखों को, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की वैद्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से, मंगवा सकेगा तदोपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगाः

परन्तु पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन, अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, किसी प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए या उसके सम्मुख लम्बित किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे पारित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय–आठ
प्रकीर्ण

परिवर्तनों की अधिसूचना

24. (1) यदि किसी पर्यटन इकाई जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, के उत्तराधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन हेतु पूर्व में निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र को समर्पित करते हुए ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी आवेदन के सम्यक् जांचोपरांत आवेदन की तारीख से साठ दिन के भीतर गुणावगुण के आधार पर आवेदन का निस्तारण करेगा।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, किसी ऐसी इकाई यदि उसका उत्तरवर्ती इस नियमावली के अधीन पंजीकृत किए जाने का पात्र नहीं है, जिसके पक्ष में मूलतः पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, का पंजीकरण निरस्त कर सकेगा।

पंजीकरण प्रमाण–पत्र वापस करना

25. इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।

डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र

26. इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर रू 500/–आवेदन शुल्क जमा करते हुये पंजीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा।

सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना

27. पर्यटन इकाई स्वामी/संचालक द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न किये जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा, किन्तु अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दूसरे पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जायेगा।

अन्य व्यक्तियों पर नियमावली को लागू करने

28. परिषद् अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस नियमावली या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध, ऐसे अपवादों, अनुकूलीकरणों या उपांतरणों सहित, जैसे आवश्यक समझे जाएं, उत्तराखण्ड राज्य में बाह्य फोटो खींचने, गृह नौका,

की परिषद् की शक्ति

डोंगी, शिकारे, डांडियों, पिटठुओं, टट्टुओं को किराए पर देने या उन्हें चलाने के कारोबार में लगे व्यक्तियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाये पर लागू होंगे और विहित प्राधिकारी, की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा।

कतिपय मामलों में आदेश देने की शक्ति

29. परिषद् निम्नलिखित के सबंध में आदेश पारित कर सकेगी–

(1) पर्यटन इकाई स्वामी/संचालको द्वारा कारोबार के संचालन के लिए, रजिस्टरों और प्ररूपों को बनाया जाना।

(2) इस नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं वांछित अन्य आवश्यक अभिलेख के अनुसार प्रारूप का निर्धारण एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप यथा आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जा सकेगा।

(3) इस नियमावली के अधीन नोटिस देने की रीति।

(4) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा संचालित भिन्न–भिन्न गतिविधियों के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता।

(5) साहसिक खेल–कूद के संचालन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय और मानक तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाए।

(6) विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाईयों में स्वास्थ्यकर और सफाई अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाओं को बनाए रखने के लिए मानक।

(7) ऐसी पर्यटन इकाईयां जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति।

(8) वह रीति जिसमें नियत उचित दरें प्रदर्शित की जाएगी, विहित प्राधिकारी को टिकटों के प्रकार, और जारी की जाने वाली रसीदें, उसके लेखे और विवरणी प्रस्तुत करना और बनाए रखना, अनुज्ञप्ति फीस, नवीकरण फीस और अन्य देयों का संग्रहण और निक्षेप।

(9) परिषद् को समय–समय पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति से इस नियमावली के नियम व शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

(10) नियमावली के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिषद् का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

(11) यदि इस नियमावली के किसी नियम/उपनियम/उपबंध के सम्बन्ध में कोई शंका, अस्पष्टता अथवा व्याख्या सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है, तो इस स्थिति में परिषद् द्वारा की गयी व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

(12) यदि परिषद् को यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के कठोर अनुपालन से किसी व्यक्ति या वर्ग को अत्याधिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से आदेश द्वारा उन उपबंधो में शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

आज्ञा से,

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
सचिव।

"अनुलग्नकः–1"

उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026 के अन्तर्गत होमस्टे के पंजीकरण के लिए चेक लिस्ट

क्र0 सं0	विवरण (स्थानीय वास्तुकला शैली से बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी)	नगर पंचायत			ग्रामीण			टिप्पणी
		गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	
1	अच्छी तरह के उपकरणों से सुसज्जित घर और गेस्ट रूम उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर, वस्तुएं आदि पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
2	पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
3	इकाई में कम से कम एक कक्ष एवं अधिकतम 8 कक्षों में 2 से अधिकतम 24 शैय्यायें होंगी। ये सभी कमरे साफ, बिना नमी और हवादार होने चाहिये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
4	प्रत्येक कक्ष के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग फिट में।	120	120	100	100	100	80	
5	भारतीय डिजाइन के अच्छी किस्म के आराम दायक बिस्तर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
6	प्रत्येक अधिष्ठान में (क) स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
	(ख) प्रत्येक कक्ष के साथ संलग्न स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
7	प्रत्येक स्नानगृह का आकार न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग फिट में।	50	40	30	40	35	30	
8	पाश्चात्य शैली का शौचालय सीट और टायलेट रोल सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
9	नल में चलने वाला ठंडा/गर्म पानी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवाय	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
10	शावर/गीजर/सेविंग किट/टॉवल/बाथरुम स्लिपर इत्यादि	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
11	अच्छी रसोई जो साफ–सुथरी हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
12	अच्छी गुणवत्ता वाले बर्तन।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
13	खाने का स्थान जहाँ पर ताजा या परंपरागत भारतीय/ उत्तराखण्डी खान पान परोसा जाये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	

क्रमशः–2

14	वातानुकूलित कक्ष (भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप)।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
15	प्रेस (इस्त्री) तथा प्रेस बोर्ड, वाशिंग मशिन, माँग के अनुसार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
16	इन्टरनेट कनेक्शन।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
17	कपड़े की अलमारी, दराज व कपड़ों को टाँगने के लिये हैंगर की सुविधा के साथ।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
18	एक्वागार्ड/आर0ओ0 संयत्र के साथ पेयजल की निःशुल्क सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
19	कक्ष में अच्छी किस्म की कुर्सी, मेज और अन्य जरूरी फर्नीचर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
20	लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग की सुविधा।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
21	गर्म या ठंडा करने के संयत्र कमरों में उपलब्ध।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
22	कूड़ा–कचरा फेंकने वाली सुविधायें म्युनिसिपल कानून के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
23	डॉक्टर को आवश्यकतानुसार बुलाने की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
24	कमरे में कीमती सामान रखने के लिये तिजोरी/लॉकर की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
25	यात्री के आने–जाने का रजिस्टर में विवरण। विदेशी पर्यटकों के लिये उनके पासपोर्ट आदि का विवरण।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	

''अनुलग्नकः–2''

होमस्टे पंजीकरण हेतु

(सौ रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी, जनपद .....

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ..... निवासी..... .....घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं किः–

1– यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

2– यह कि मैं/हम उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं।

3– यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता)..... ..... में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षो.....(कक्षों की संख्या) को **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026** के अन्तर्गत **होम स्टे** में पंजीकरण करने के इच्छुक हैं।

4– यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नही है।

5– यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है, अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नही है/स्वीकृत नही है। भवन पर्यटको को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे। ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी को इस योजनान्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6– यह कि मेरे/हमारे द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026** तथा समय–समय पर जारी संशोधनो में किये गये प्रावधानों/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रुप से बाध्य होंऊगा/होऊंगी/होंगे।

–घोषणा–

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐंसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक ..... को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूं/करते हैं।

नाम :

हस्ताक्षर शपथकर्ता :

दिनांक :

''अनुलग्नक–3''

उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026 के अन्तर्गत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट के पंजीकरण के लिए चेक लिस्ट

क्र0 सं0	विवरण (स्थानीय वास्तुकला शैली से बने भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी)	शहरी			ग्रामीण			टिप्पणी
		गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	गोल्ड	सिल्वर	ब्रान्ज	
1	अच्छी तरह के उपकरणों से सुसज्जित घर और गेस्ट रूम उच्च गुणवत्ता वाला फर्नीचर, वस्तुएं आदि पारंपरिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
2	पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
3	इकाई में कम से कम एक कक्ष एवं अधिकतम आठ कक्षों में 2 से अधिकतम 24 शैय्यायें होंगी। ये सभी कमरे साफ, बिना नमी और हवादार होने चाहिये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
4	प्रत्येक कक्ष के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग फिट में।	120	120	100	100	100	80	
5	भारतीय डिजाइन के अच्छी किस्म के आराम दायक बिस्तर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
6	प्रत्येक अधिष्ठान में (क) स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
	(ख) प्रत्येक कक्ष के साथ संलग्न स्नानगृह एवं प्रसाधन सुविधा सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
7	प्रत्येक स्नानगृह का आकार न्यूनतम क्षेत्रफल वर्ग फिट में।	50	40	30	40	35	30	
8	पाश्चात्य शैली का शौचालय जिसमें सीट और टायलेट रोल सहित।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
9	नल में चलने वाला ठंडा/गर्म पानी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवाय	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
10	शावर/गीजर/सेविंग किट/टॉवल/बाथरुम स्लिपर इत्यादि	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
11	अच्छी रसोई जो साफ–सुथरी हो।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
12	अच्छी गुणवत्ता वाले बर्तन।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
13	खाने का स्थान जहाँ पर ताजा या परंपरागत भारतीय/ उत्तराखण्डी खान पान परोसा जाये।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	

क्रमशः–2

14	वातानुकूलित कक्ष (भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप)।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
15	प्रेस (इस्त्री) तथा प्रेस बोर्ड, वाशिंग मशिन, माँग के अनुसार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
16	इन्टरनेट कनेक्शन।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
17	कपड़े की अलमारी, दराज व कपड़ों को टाँगने के लिये हैंगर की सुविधा के साथ।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
18	एक्वागार्ड/आर0ओ0 संयत्र के साथ पेयजल की निःशुल्क सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
19	कक्ष में अच्छी किस्म की कुर्सी, मेज और अन्य जरूरी फर्नीचर।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
20	लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग की सुविधा।	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
21	गर्म या ठंडा करने के संयत्र कमरों में उपलब्ध।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	
22	कूड़ा–कचरा फेंकने वाली सुविधायें म्युनिसिपल कानून के अनुसार।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	
23	डॉक्टर को आवश्यकतानुसार बुलाने की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
24	कमरे में कीमती सामान रखने के लिये तिजोरी/लॉकर की सुविधा।	अनिवार्य	अनिवार्य	ऐच्छिक	अनिवार्य	ऐच्छिक	ऐच्छिक	
25	यात्री के आने–जाने का रजिस्टर में विवरण। विदेशी पर्यटकों के लिये उनके पासपोर्ट आदि का विवरण।	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	

"अनुलग्नकः–4"

बेड एण्ड ब्रेकफास्ट पंजीकरण हेतु

(सौ रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी, ...

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ..... निवासी.....
.....घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं किः–

1– यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

2– यह कि मैं/हम आवासीय भवन स्थित (पता) .....
..... में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षो.....(कक्षों की संख्या) को **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026** के अन्तर्गत **बेड एण्ड ब्रेकफास्ट** में पंजीकरण करने के इच्छुक हैं।

3– यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नही है।

4– यह कि उक्त आवासीय भवन का संचालन शपथकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा अथवा संचालन हेतु संचालक/व्यवस्थापक/सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड अनुबन्ध के माध्यम से अधिकृत कर संचालन किया जायेगा।

5– यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है, अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नही है/स्वीकृत नही है। भवन पर्यटको को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होंगे। ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी को इस योजनान्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6– यह कि मेरे/हमारे द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, पंजीकरण नियमावली, 2026** तथा समय–समय पर जारी संशोधनो में किये गये प्राविधानो/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रुप से बाध्य होंऊगा/होऊंगी/होंगे।

–घोषणा–

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐंसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक ..... को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूं/करते हैं।

नाम :

हस्ताक्षर शपथकर्ता :

दिनांक :

''अनुलग्नकः–5''

(ट्रैवल एजेंट/डोमेस्टिक टूअर ऑपरेटर/एडवेंचर ऑपरेटर व अन्य गैर आवासीय पर्यटन इकाई हेतु)

(सौ रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी जनपद .....

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ..... निवासी.....
.....शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूं/करती हूं/करते हैं किः–

1– यह कि शपथकर्ता का नाम व पता सही एवं सत्य है।

2– यह कि मैं/हम अपनी इकाई (इकाई का नाम).....इकाई का पता. .....को **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2026** के अन्तर्गत पंजीकरण करने का इच्छुक हूं/हैं।

3– यह कि शपथकर्ता के पास साहसिक पर्यटन/यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध हैं।

4– यह कि शपथकर्ता के पास साहसिक पर्यटन/यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी/कुशल कार्मिक उपलब्ध हैं।

5– यह कि अधिकृत किये गये व्यवसाय की शर्तों से भिन्न व्यवसाय नही किया जायेगा ।

6– यह कि पंजीकृत की गयी इकाई में ऐंसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही की जायेंगी, जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो।

7– इकाई के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– यह कि शपथकर्ता द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2026 तथा समय–समय पर जारी संशोधनो में किये गये प्रावधानों/नियमों/उप–नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिस का पूर्ण रुप से अनुपालन किया जायेगा।**

–घोषणा–

यह कि पैरा नं0 1 से 08 तक मेरे/हमारे संज्ञान में सत्य व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमे कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी तथा उपरोक्त बिन्दुओं में किसी भी तथ्य के झूठा पाये जाने पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी को मेरी/हमारी उक्त इकाई के संचालन हेतु निर्गत पंजीकरण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और न ही कोई दावा प्रस्तुत किये जाने का अधिकार होगा।

आज दिनांक ..... को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र के सभी तथ्य सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूं/करते हैं।

नाम :
हस्ताक्षर शपथकर्ता :
दिनांक :

''अनुलग्नकः–6''

समस्त आवासीय इकाईयों हेतु (होमस्टे व बेड एण्ड ब्रेकफास्ट को छोडकर)

(सौ रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी जनपद .....

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... ..... निवासी.....
.....शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूं/करती हूं/करते हैं किः–

1– यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

2– यह कि मैं/हम अपनी इकाई (इकाई का नाम).....इकाई का पता.....
.....को यात्रियों/पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2026** के अन्तर्गत पंजीकरण करने का इच्छुक हूं/हैं। उक्त इकाई में ..... कक्ष व ..... शैय्यायें निर्मित हैं।

3– यह कि **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली–2026** के अन्तर्गत इकाई (इकाई का नाम). ..... के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज/अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खाता खतौनी/बैनामा/लीज डीड/अनुबंध पत्र/पावर ऑफ अटॉनी आदि पूर्णतय वैध एवं सत्य हैं। आवश्यकता पड़ने पर उक्त इकाई के निर्विवाद स्वामित्व को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व मेरा/हमारा होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद के लिये शपथकर्त्ता उत्तरदायी होगा/होंगे।

4– यह कि शपथकर्ता द्वारा इकाई में मानकों के अनुरूप अग्निरोधक यंत्र/उपकरण संयोजित करवाये गये हैं।

5– यह कि शपथकर्ता द्वारा इकाई के संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता, प्रदूषण नियन्त्रण एवं जल संचय/जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जायेगा, तथा मानको के अनुरुप ही इकाई का संचालन किया जायेगा।

6– यह कि शपथकर्त्ता द्वारा उक्त इकाई के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– यह कि इकाई में आने वाले आगंतुको का विवरण अनुरक्षित पंजिका में किया जायेगा तथा विदेशी पर्यटको के ठहरने पर उनके पासपोर्ट/वीजा इत्यादि का फार्म–सी में विवरण सम्बन्धित विभाग यथा स्थानीय अभिसूचना इकाई/पर्यटन विभाग को ससमय उपलब्ध करवाया जायेगा।

8– यह कि उक्त इकाई में किसी भी प्रकार की अवैधानिक वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा। पंजीकृत किये गये कक्षों के अतिरिक्त अन्य कक्षों को किराये पर नही दिया जायेगा, और इकाई के पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा इकाई में कक्षों हेतु निर्धारित किराये की दरों को स्वागत पटल पर स्पष्ट रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।

9– पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से निर्मित उक्त इकाई के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/सक्षम प्राधिकरण/कैंट बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/अग्निशमन विभाग/खाद्य विभाग/FSSAI/राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के नियमों–शर्तों के उल्लंघन/परिपूर्ण न करने की दशा में पंजीकरण को निरस्त किये जाने का अधिकारी विहित प्राधिकारी को होगा, जिस पर मुझे/हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

10– यह कि **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026** के अन्तर्गत निर्गत पंजीकरण प्रमाण को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी विभाग/मा0 न्यायालय आदि में अपने किसी भी स्वामित्व आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा।

11– यह कि मेरे/हमारे द्वारा **उत्तराखण्ड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2026** तथा समय–समय पर जारी संशोधनो **में किये गये प्रावधानों/नियमों/उप–नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रुप से अनुपालन किया जायेगा।**

–घोषणा–

यह कि पैरा नं0 1 से 11 तक मेरे/हमारे संज्ञान में सत्य व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमे कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी तथा उपरोक्त बिन्दुओं में किसी भी तथ्य के झूठा पाये जाने पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी/विहित प्राधिकारी को मेरी/हमारी उक्त इकाई के संचालन हेतु निर्गत पंजीकरण पत्र को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और न ही कोई दावा प्रस्तुत किये जाने का अधिकार होगा।

आज दिनांक ..... को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र के सभी तथ्य सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूं/करते हैं।

नाम :
हस्ताक्षर शपथकर्ता :
दिनांक :